(१)

# गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार

## कार्यविधि

वन विभाग
बबरमहल

**प्रस्तावना :**

सामुदायिक वन विकास कार्यमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कृत गरी सामुदायिक वनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने हेतुले वन विभागले देशव्यापी रुपमा समुह गठन भई वन क्षेत्र समेत हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु मध्य बाट उत्कृष्ट कार्य गर्ने समुहहरुलाई पुरस्कृत गर्न सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार कार्यक्रम संचालन गरिएको छ। पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यलाई सरल र व्यवस्थीत गर्न यो कार्यविधि तयार गरिएको छ।

**पुरस्कार छनौट र मूल्याङ्कन समिति :**

यस गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कारको छनौट तथा मूल्याङ्कनको लागि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व समेत हुने गरी तपसील बमोजिमको एक पुरस्कार छनौट र मूल्याङ्कन समिति गठन गरिने छ।

| | |
|---|---|
| संयोजक | महानिर्देशक, वन विभाग |
| सदस्य | उप-सचिव स्तरको प्रतिनिधी, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय |
| सदस्य | प्रतिनिधि, वन उपभोक्ता महासंघ |
| सदस्य | प्रतिनिधि, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान |
| सदस्य | सामुदायिक वनमा ख्याती प्राप्त संयोजकले तोकेको विज्ञ २ जना |
| सदस्य सचिव | उप महानिर्देशक, सामुदायिक वन महाशाखा, वन विभाग |

**समितिको काम कर्तव्य तथा अधिकार :**

पुरस्कार छनौट र मूल्याङ्कन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने छ।

१) सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयबाट प्राप्त सिफारिसको आधारमा उत्कृष्ट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सिफारिस गर्ने।



वन विभाग ...

२) पुरस्कारको लागि सूचक/सुचकाङ्क तयार पार्ने र अनुमोदन गर्ने ।

३) पुरस्कारको सिफारिसको आधारमा मुल्याङ्कन गरी पुरस्कार सम्बन्धि निर्णय गर्ने ।

४) पुरस्कार सम्बन्धि विवाद आएमा निर्णय लिने ।

५) पुरस्कारको निर्णय, घोषणा लगायतका विषयमा कार्यविधि र कार्य तालिकाको निधो गरी कार्य सम्पन्न गर्ने ।

६) गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कारको लागि विनियोजित बजेट बाट प्राप्त मनोनयन संख्याको आधारमा पुरस्कारको राशी, पुरस्कृत गर्ने समूहको संख्या तथा अन्य कार्यको लागि आवश्यक रकम बाँडफाड गर्ने ।

७) पुरस्कृत समूहहरुको विबरण पुस्तिकाको रुपमा प्रकाशन गरिने छ ।

**समितिको बैठक :**

१) समितिको बैठक संयोजकले तोके बमोजिम आवश्यकता अनुसार बस्ने छ ।

२) समितिको गणपुरक संख्या दुई तिहाईको हुने छ । तर, प्रथम बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेमा दोश्रो बैठकमा पचास प्रतिशत भन्दा बढि सदस्यको उपस्थितीलाई गणपुरक संख्या मानिने छ ।

**पुरस्कार छनौटका आधारहरु :**

पुरस्कार छनौटका लागि वन विभाग, सामुदायिक वन महाशाखाले तयार गरी विज्ञ स्तरमा समेत ई मेल मार्फत प्रतिक्रिया लिई सो समेतलाई दृष्टिगत गरी तयार पारिएको "गणेशमान सिंह सामुदायिक राष्ट्रिय वन पुरस्कार" को सफल सामुदायिक वन छनौटका आधार र सूचकहरुको सूची आधारमा उत्कृष्ट सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको छनौट गरि पुरस्कार सिफारिस गरिने छ । उक्त "गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार" को आधार र सूचकहरुको फारम अनुसूचि १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

**पुरस्कार सम्बन्धि अन्तिम निर्णय :**

गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धि अन्तिम निर्णय वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट हुनेछ ।

अनुसूचि - १

गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार

सफल सामुदायिक वन छनौटका आधार र सूचकहरुको सूची

पूर्णाङ्क: १००

| आधार नं. (Criteria No.) | आधारहरु (Criteria) | आधारको अधिकतम् भार अङ्क (Maximum weightage) | सूचक नं. (Indicator No.) | सूचकहरु (Indicators) | सूचकहरुको अधिकतम् भार अंक (Maximum weightage of indicator) | मूल्यांकनमा प्राप्ताङ्क | कैफियत (Remarks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुनुपूर्व वनको अवस्था | ५ | १.१ | न्यून हैसियत भएको वा नाङ्गो वा खाली वनक्षेत्र | ५ | | NC |
| | | | १.२ | मध्यम हैसियतको वृक्षारोपण, प्राकृतिक वा मिश्रित वनक्षेत्र | ३ | | |
| | | | १.३ | राम्रो हैसियतको वृक्षारोपण, प्राकृतिक वा मिश्रित वनक्षेत्र | २ | | |
| २ | हस्तान्तरणपश्चात् वनको वनको अवस्था र स्वास्थ्यमा आएको परिवर्तन (मूल्यांकनको समयमा) | १० | २.१ | नाङ्गो वा खाली वनक्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन भएको | २ | | C |
| | | | २.२ | पहिले मासिएका/हराएका वनस्पति र वन्यजन्तु पुनः देखा पर्न थालेको | २ | | |
| | | | २.३ | झाडीदार वनक्षेत्र वनमा परिवर्तन भएको | २ | | |
| | | | २.४ | वन वा वनछत्रको घनत्व वृद्धि भएको | २ | | |
| | | | २.५ | पुनरुत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि भएको | २ | | |
| | | | २.६ | पहिलेको अवस्थामा खास परिवर्तन नभएको वा झनै हैसियत बिग्रेको | ० | | |
| ३ | वन संरक्षण पद्धति | ६ | ३.१ | आत्म अनुशासनबाट वन संरक्षण भएको (सबै उपभोक्ताहरुले पूर्णरुपमा नियम पालना गर्ने गरेको) | ६ | | NC |
| | | | ३.२ | सबै घरधुरी उपभोक्ताहरुले आलोपालो प्रथाबाट वन संरक्षण गर्ने | ४ | | |

(४)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | गरेको | | | |
| | | | ३.३ | वन हेरालुबाट वन संरक्षण गर्ने गरेको | ३ | | |
| | | | ३.४ | वन संरक्षणको कुनै कुनै पद्धति नअपनाइएको कारण वनको संरक्षणमा प्रतिकुल असर परेको | ० | | |
| ४ | वन व्यवस्थापनको अभ्यास | १५ | ४.१ | वन व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु नियमित र व्यवस्थित रुपमा संचालन गरिएको (उदाहरणको लागि वन सम्वर्द्धन भएको वनक्षेत्रमा राम्रो आकार र गुणस्तरका रुखहरु भएको पाइएको) | ५ | | C |
| | | | ४.२ | सा.व. कार्ययोजनामा सिफारिस भए बमोजिमका वन व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु संचालन गरिएको | ५ | | |
| | | | ४.३ | वन व्यवस्थापन सम्बन्धी नमूना स्थलको स्थापना गरिएको र वन व्यवस्थापनमा यसको अनुकरण भएको | ५ | | |
| ५ | वन पैदावार बितरण प्रणाली | ६ | ५.१ | समतामूलक - आवश्यकता अनुसारको बितरण व्यवस्था रहेको | ६ | | NC |
| | | | ५.२ | समानतामूलक - उपभोक्ता घरधुरीलाई बराबर बितरण गर्ने व्यवस्था रहेको | ४ | | |
| | | | ५.३ | हचुवाको भरमा - बितरणमा खास कुनै तरिका नअपनाइएको | १ | | |
| ६ | सा.व.उपभोक्ता समितिको संरचना | ६ | ६.१ | समावेशीकरण (लिंग, जात, पिछडिएको वर्ग आदिलाई समेटिनेगरी मुख्य पदहरु समेत ५०% वा सोभन्दा | ६ | | NC |



निजा: अधिकृत  निरीक्षक  निर्देशक

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | बढी महिलाको प्रतिनिधित्व) भएको | | | |
| | | | ६.२ | एकैप्रकारको समूह, जात, लिंग, सम्प्रदाय आदिको अधिपत्य ( महिला समूहमा लिंगको कुरा बाहेक) भएको | २ | | |
| ७ | सा.व.उपभोक्ता समितिको कार्यसंचालन प्रभावकारिता | ५ | ७.१ | विधान अनुसार नियमितरुपमा समितिको बैठक र समूहको भेला भएको | १ | | C |
| | | | ७.२ | सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र र गुनासो व्यवस्थापन समुचित ढंगले हुने गरेको | १ | | |
| | | | ७.३ | समूहको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी गर्ने गरेको | १ | | |
| | | | ७.४ | समूहको कोष खर्च गर्नुपूर्व उपभोक्ताहरु/समुदाय को आवश्यक्ता पहिचान गर्ने गरिएको | १ | | |
| | | | ७.५ | वार्षिक योजना र वार्षिक लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको | १ | | |
| ८ | सा.व.उपभोक्ता समितिको आर्थिक पारदर्शिता | ५ | ८.१ | आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनुवाईमा तथा साधारण सभा/समूह भेलामा प्रस्तुत गर्ने गरिएको र सबै उपभोक्ताहरुको त्यसमा पहुँच हुने गरेको | ३ | | C |
| | | | ८.२ | आर्थिक कृयाकलापको अनुगमनको लागि उपसमिति गठन गरिएको | १ | | |
| | | | ८.३ | सार्वजनिक/सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको | १ | | |
| ९ | साधारण सभामा महिला सहभागिताको अनुपात | ६ | ९.१ | २५% सम्म सहभागिता/उपस्थिति रहेको | २ | | NC |
| | | | ९.२ | २५% भन्दा बढी ५०% सम्म | ४ | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सहभागिता/उपस्थिति रहेको | | | |
| | | | ९.३ | ५०% भन्दा बढी सहभागिता/उपस्थित रहेको | ६ | | |
| १० | साधारण सभा/उपभोक्ता भेलामा उपभोक्ताहरुको उपस्थिति | ५ | १०.१ | बिधानमा व्यवस्था भए बमोजिम न्यूनतम् उपस्थिति प्रतिसत (कोरम) रहेको | २ | | NC |
| | | | १०.२ | न्यूनतम् उपस्थिति प्रतिसत (कोरम)देखि ७५% सम्म उपस्थिति रहेको | ४ | | |
| ११ | सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोष परिचालन तथा सदुपयोग | १० | ११.१ | वन व्यवस्थापन तथा बिकास सम्बन्धी कृयाकलापहरुमा (२५% भन्दा कम खर्च गरेको भए १ अंक, २५% -५०% सम्म खर्च गरेको भए २ अंक र ५०% भन्दा बढी खर्च गरेको भए ३ अंक दिने ) | ३ | | C |
| | | | ११.२ | गरीबी न्यूनीकरण सम्बन्धी कृयाकलापहरु जस्तै: सहुलियत दरमा ऋण सहयोग अथवा गरीब उपभोक्ताहरुलाई आयआर्जनका कृयाकलापहरु संचालन गर्नको लागि बीउ पूंजी उपलब्ध गराएको (यसमा १०% भन्दा कम खर्च गरेको भए १ अंक, १०% -३५% सम्म खर्च गरेको भए २ अंक र ३५% वा सोभन्दा बढी खर्च गरेको भए ३ अंक दिने ) | ३ | | |
| | | | ११.३ | वन उपभोक्ताहरुको क्षमता विकास (स्वरोजगार, क्षमता | २ | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | विकास तालिम, सचेतना कार्यक्रम आदि) | | | |
| | | | ११.४ | सामुदायिक वा सामाजिक विकासका कृयाकलापहरु संचालन गरेको | १ | | |
| | | | ११.५ | अन्य कृयाकलापहरु | १ | | |
| १२ | जलबायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकुलन उपायहरु | ६ | १२.१ | समुदायस्तरमा जलबायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको | १ | | C |
| | | | १२.२ | जलबायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकुलनका उपायहरु सामुदायिक वन कार्ययोजनामा समावेश गरिएको | १ | | |
| | | | १२.३ | अवैध वन फँडानी र अतिक्रमण घटेको | १ | | |
| | | | १२.४ | व्यापकरुपमा वृक्षारोपण गरिएको | १ | | |
| | | | १२.५ | पानीको मुहान/श्रोतहरुको उपलब्धता र पिउने पानीको गुणस्तरमा वृद्धि भएको | १ | | |
| | | | १२.६ | भूक्षय वा पहिरोको घटनामा ह्रास आएको | १ | | |
| १३ | सरकारी वा गैरसरकारी सेवाप्रदायकहरुसँगको निकटता र पहुँच | ५ | १३.१ | सेवाप्रदायकहरुसँग नजिक रहेका ( सा.व.उ.स. ३ घण्टाभित्र सेवाप्रदायक रहेको स्थानसम्म पुग्न सक्ने र सहज पहुँचको स्थितिमा रहेका) | २ | | NC |
| | | | १३.२ | सेवाप्रदायकहरुसँग औसत दुरी र पहुँचमा रहेका ( सा.व.उ.स.लाई सेवाप्रदायक रहेको स्थानसम्म पुग्न ३ -६ घण्टाको समय लाग्न सक्ने र सेवाप्रदायकसंग सिमित पहुँचको | ४ | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | स्थितिमा रहेका) | | | |
| | | | १३.३ | ज्यादै बिकटमा रहेका र सेवाप्रदायकको पहुँचमा नरहेका ( सा.व.उ.स.लाई सेवाप्रदायक रहेको स्थानसम्म पुग्न ६ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने र सेवाप्रदायकसँग बिलकुल पहुँचको स्थितिमा नरहेका) | ५ | | |
| १४ | चरिचरणको अवस्था | ५ | १४.१ | चरिचरण पूर्णरुपमा बन्द (सून्य चरिचरणको अवस्था) रहेको | ५ | | NC |
| | | | १४.२ | चरिचरणलाई नियन्त्रित/व्यवस्थित गरिएको | ४ | | |
| | | | १४.३ | चरिचरण नियन्त्रण/व्यवस्थापन को प्रयास भएको तर आंशिक सफलता मात्र प्राप्त भएको | १ | | |
| | | | १४.४ | चरिचरण पुरै खुला रहेको | ० | | |
| १५ | वन डढेलोको अवस्था | ५ | १५.१ | वन डढेलो लाग्नबाट पूर्णरुपमा बचाइएको | ५ | | NC |
| | | | १५.२ | वन डढेलो देखिनेबित्तिकै उपभोक्ताको सक्रियतामा यथासिघ्र नियन्त्रणमा लिइएको | ३ | | |
| | | | १५.३ | वन डढेलो नियन्त्रणमा समूहको कुनै पहल या सक्रियता नदेखिएको | ० | | |

NC भन्नाले कुनै एक सुचकको लागि अकँ दिन सकिने

C भन्नाले एक भन्दा बढि सुचकको लागि पनि अकँ दिन सकिने